

मजिस्ट्रेट, शाहपुर 2/2018

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--------------------	----------------------	-------------

1/6/18

माय सोपे
 डा वरदा
 मोहन पा
 736/2484
 डा 0-928
 न 736/2484
 सी 28 जसि
 टू वगैरे
 सा 28
 2 वगैरे
 मोहन
 583 म
 सी 28
 सा 28
 मातपी
 सा 28
 सा 28
 सा 28
 सा 28

राजकीय पेटा का नेजबाब डाके में 28 मी जाति विना
 कि वारी के दुजुगी के लन 1961 के लगे 583 के
 मोपटन हुआ बताता है जबकि सा. सं. 506 पर
 बसा बताता है वगैरे डा मोपटन का रिपोर्ट पेश
 नहीं किया जाता है। स्प. नं. 736/2484 सा. सं. 506
 से बना है तथा वापस रिपोर्ट में सिवाय
 चक लगानी दर्ज है।

इस प्रकार वरि तथा पुलिस द्वारा
 उल्लेखित एवं परवर्ती के उपलब्ध रिपोर्ट
 के आधार पर जाता कि वरि सं. 736/2484
 सं. 1006 जो कि राजव रिपोर्ट में सिवाय चक
 दर्ज है को अपने दुजुगी को माय मानकर
 बसा के आधार पर उत्तरदायी घोषणा पाटा
 है जबकि मध्याली सं. 736/2484 सा. सं. 506
 से बना है किसे संवेच में माय
 जमान संबंधी कोई दलील पेश नहीं किने
 है। राजकीय पेटा 2 द्वारा उल्लेखित कितान दोषकार
 से स्पष्ट है कि सं. 736/2484 सा. सं. 506
 से बना है तथा वारी के दुजुगी के सं.
 506 मोपटन संबंधी कोई दलील पेश
 नहीं किया जाता है।

तथा वरि का पर पुलिस रिपोर्ट
 जाता है। परवर्ती के लल गुमा (सं. नं. 28)
 से जम लल दलिल पेश है।

(रवि विजय)
 उप खण्ड अधिकारी
 शाहपुर, जिला-जयपुर (राज.)

रिपोर्ट
 रिपोर्ट
 सा 28
 सं. 736/2484
 है। वगैरे
 वगैरे